



2026:AHC:40993

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 2684/2026

जहाँगीर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अक्षय कुमार शुक्ला, रविन्द्र पाल सिंह कश्यप

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार शुक्ल, अंतर्निहित त्रुटि के कारण, नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की इच्छा रखते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता (अनुज्ञा) के साथ वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।

24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”